संoसंo–9/आo–04–61/2023

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा0 रजनीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली, खड़गपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुंगेर** के पदस्थापन काल में दिनाक–17 08 2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने सकल्प किया है कि उक्त **डा0 रंजन** के विरूद्ध अनुबध मे वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डॉ0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3 **डा0 रंजन** से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वय उपस्थित हो।

4. इसमे माननीय स्वास्थ्य मत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–61/2023(स्वा0)........................../ पटना, दिनांक :.....................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **डॉ0 अलका सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–61/2023(स्वा0)....................../ पटना, दिनांक :.....................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एव साक्ष्यो की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–61/2023(स्वा0)1398(9)**/ पटना, दिनांक :** 31.12.24

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, मुगेर/डा0 रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हवेली, खडगपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुगेर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 सिविल सर्जन, मुगेर से अनुरोध है कि इसकी प्रति आरोपित पदाधिकारी को तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
31/12/2024
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापन

स0सं0–9/आ0–04–28/2022(स्वा0)....821(9)..../ पटना, दिनांक..04.08.23..

सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक–2860 दिनांक–08.10.2022 के द्वारा डॉ० रजनीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, हवेलीखडगपुर, मुंगेर के विरूद्ध दिनांक–17.08.2022 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदन किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप से संबधित आरोप पत्र (प्रपत्र–क) अवचार या कदाचार के लाछनों का सार, लांछनों का अभिकथन तथा आरोप को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करते हुए डॉ० रजनीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडल अस्पताल, हवेलीखडगपुर, मुंगेर से अपेक्षा की जाती है कि एक पक्ष के अन्दर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा साथ ही यह भी बताएंकी जिन लांछनों को उनके द्वारा स्वीकार नही किया गया है उनकी व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है।

3. डॉ० रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, हवेलीखडगपुर, मुंगेर को यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अवचार या कदाचार के लांछनों के संबंध में बचाव का लिखित अभिकथन अगर विनिर्दिष्ट अवधि तक प्राप्त नहीं होगा, तब विभागीय जॉच एक पक्षीय उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर कर ली जायेगी।

4. कृपया इस आरोप पत्र की प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

(हस्ताक्षर) ..8.23

(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–04–28/2022(स्वा0)....821(9)..../ पटना, दिनांक..04.08.23..

प्रतिलिपिः–डॉ० रजनीश रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, हवेलीखड़गपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) ..8.23

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आरोप पत्र

[नियम-17(3) तथा विनियम 3 द्रष्टव्य]

(1). प्रथम भाग- सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम		डॉ० रजनीश रजन,
2.	पदनाम	--	चिकित्सा पदाधिकारी,
3.	जन्म तिथि		23 06.1976
4.	सेवानिवृति की तिथि	-	30 06.2043
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	--	बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग
6.	पद समूह एवं विभाग	--	'ख'/स्वास्थ्य विभाग
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	–	
8.	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन पर	–	ग्रेड पे–5400 लेवल–09 (9300-34800)
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	–	2022 एवं अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर, वर्त्तमान प्रतिनियुक्ति, सदर अस्पताल, मुंगेर।
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	–	30.06.2047।
11.	पत्राचार का पता	–	पिता– श्री स्व० उमेश प्रसाद, वार्ड न०–05, रामायण नगर बाढ़ जिला– पटना, . पिनकोड–803213।

821 (9)
04.08.23

01.8.23

(सुधीर कुमार)
सरकार के सयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(2). द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. सिविल सर्जन, मुगेर के पत्राक–2860 दिनाक--08 10 2022 द्वारा डॉ० रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हवेली खडगपुर, वर्त्तमान प्रतिनियुक्ति, सदर अस्पताल, मुगेर के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में दिनाक--17.08.2022 से अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से बाहर जाने का आरोप प्रतिवेदित है जो अनधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी मे आता है तथा इससे निर्धारित रोस्टर ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। यह कृत्य घोर लापरवाही को दर्शाता है।
2. आपका उक्त कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।
3. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) एव (iii) तथा नियम–4 मे निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एव मनमानेपन का द्योतक है।

821(9)
04.08.21

(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(3). तृतीय भाग–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. सिविल सर्जन, मुगेर के पत्रांक–2860 दिनाक–08 10 2022 द्वारा डॉ० रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हवेली खडगपुर, वर्त्तमान प्रतिनियुक्ति, सदर अस्पताल, मुगेर के विरूद्ध पदस्थापन अवधि में दिनाक–17 08 2022 से अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये बिना मुख्यालय से बाहर जाने का आरोप प्रतिवेदित है जो अनधिकृत अनुपस्थिति की श्रेणी मे आता है तथा इससे निर्धारित रोस्टर ड्यूटी मे व्यवधान उत्पन्न हुआ है। यह कृत्य घोर लापरवाही को दर्शाता है।
2. आपका उक्त कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई है तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है।
3. आपके द्वारा कर्त्तव्य अवधि मे मुख्यालय से बाहर निजि क्लिनिक मे जाकर रोगी को देखना तथा निजि तौर पर अर्थोपार्जन करना एक गैर जिम्मेरदाराना कृत्य है, जो प्रथम दृष्टया अपराध की श्रेणी में आता है। आपका उक्त आचरण सरकारी सेवक के आचरण के विपरित है।
4. आपका उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) (i) (ii) एवं (iii) तथा नियम–4 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं मनमानेपन का द्योतक है।

821(9)
04.08.21

Sd/- 01.8.2

(सुधीर कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

(4). चतुर्थ भाग (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदो को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र०सं०	संबंधित पत्र / अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	सिविल सर्जन, मुंगेर के पत्रांक 2860 दिनांक 08 10 2022	कुल 10 पृष्ठ

कुल–10 पृष्ठ

(ख) साक्षियों की सूची (शून्य)

(सुधीर कुमार)
सरकार के सयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

821(9)
04.08.21

.र्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

Mobile No. 947003466

Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक 2860 /

प्रेषक,

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा मे,

सरकार के संयुक्त सचिव,
प्रशाखा–9, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

मुंगेर, दिनाक :– 08-10-2022

विषय – डा0 रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0अस्पताल, ह0 खडगपुर वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुगेर के विरूद्ध विहित आरोपो के क्रम मे प्रपत्र 'क' का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक मे सादर कहना है कि डा0 रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0अस्पताल, ह0 खडगपुर वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुंगेर का अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति, स्वेच्छाचारी आचरण, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन आदि आरोपों को संदर्भित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठन कर भेजा जा रहा है।

सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक................/मुंगेर, दिनांक :–............................/

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

(47)

ार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

प्रपत्र "क"

(1) नामः– डा0 रजनीश रंजन
(2) पदनाम– चिकित्सा पदाधिकारी
(3) वर्त्तमान पदस्थापित स्थान– चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर, वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
(4) जन्म तिथि – 23.06.1976
(5) नियुक्ति की तिथिः– स्वा0 विभागीय अधिसूचना सं0 1544(2) स्वा0 पटना दिनांक 16.11.21
(6) योगदान की तिथि– 23.11.2021
(7) सेवानिवृत्ति की तिथि :– 30.06.2043
(8) वेतनमान :– 9300–34800 ग्रेड पे– 5400
(9) पत्राचार का पता :–

पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड नं0 05, रामायण नगर, बाढ़
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

क्रम	संदर्भ	साक्ष्य	आरोप की प्रकृति
1	सदर अस्पताल, मुगेर के सुचारू संचालन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति कर रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनाक 17.8.2022 को बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल से **अनाधिकृत अनुपस्थिती** का द्योतक है।	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का पत्रांक 982 दिनांक 02.09.22	अनाधिकृत अनुपस्थिती
2	सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर ड्यूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था मे कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पडी। एक सरकारी सेवक एव चिकित्सक के रूप मे आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उदेश्य की प्राप्ति में सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के कारण जनहित कारी व्यवस्था में कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एव कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशानुसार क्रियान्वयन में आपके **निष्ठा एवं समर्पण के अभाव को** दर्शाता है।		निष्ठा एवं समर्पण के अभाव
3	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2308 दिनाक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनाक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनाक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बाबजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो **उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन** है।	पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022, पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022	उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन
4	चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण **सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है**। अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		सरकारी कार्य में बाधा

5	आपकी प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, मुगेर मे 24X7 अन्तर्गत चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारू सचालन के लिए **किया** गया था। जनहित कार्य **व्यवस्था** में आपके द्वारा असहयोग **किया** जाना चिकित्सीय धर्म के प्रतिकूल है। इससे सरकारी **व्यवस्था** के प्रति मरीजो मे अविश्वास पैदा होता है। जो विहित **कार्य संपादन में अनियमितता** का द्योतक है।		विहित कार्य संपादन मे अनियमितता
6	कतिपय सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि आप मुख्यालय से बाहर Ojas Clinic ENT & GYN , MIG-225 hear new era Public school Malahi pakri Road housing Bord colony, east indira lager, clowk lila, kankarbagh patna bihar 800020 के पते पर अपना निजी क्लिनिक में मरीज को देखते है एवं ऑर्थोपार्जन कर रहे है। एक सरकारी सेवक/चिकित्सक नियत्री पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के घटे में विहित कार्य के बदले मे निजी तौर पर अर्थोपार्जन करते है तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य के साथ–साथ नियोजन नियोक्ता संबंध की परिधि मे प्रथम दृष्टया **आपराधिक कृत्य माना** जा सकता है एवं तद्नुसार विधि सम्मत कार्रवाई योग्य है।		आपराधिक कृत्य
7	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्राक 2475 दिनांक 15.9.2022 द्वारा आपके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर कार्य स्थल पर योगदान हेतु निर्देशित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि योगदान के पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। पुनः कार्यालय पत्रांक 2626 दिनांक 28.09.2022 द्वारा अन्तिम रूप से स्मार दिये जाने के बाबजूद भी आज की तिथि तक आपके द्वारा न कोई सूचना दी गई है न ही कार्य स्थल पर योगदान दिया गया है। आपका उक्त आचरण **सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली** को प्रदर्शित करता है।	पत्रांक 2475 दिनांक 15.9.2022 पत्राक 2626 दिनांक 28 09.2022	सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

कार्यालय अधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर।

पत्रांक ...

प्रेषक

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

सेवा में

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

दिनांकः........

विषय विकित्सा पदाधिकारी के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में।

प्रसंग अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 968, दिनांक 30.08.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सदर अस्पताल मुंगेर में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है :–

क्र सं0	चिकित्सक का नाम एवं मो0 नं0	स्थल	अनुपस्थित की विवरणी	अभियुक्ति
1	डा0 पंकज कुमार, मो0 – 7711036002	प्रतिनियुक्त अनुमंडल अस्पताल, खड़गपुर	दिनांक 14.08.2022 से 19.08.2022 एवं दिनांक 22.08.2022 से 24.08.2022 एवं दिनांक 236.08.2022 से अब तक अनाधिकृत अनुपस्थित।	बिना अवकाश आवेदन प्राप्त कराये मुख्यालय से बाहर
2	डा0 अजीत कुमार सिंह, मो0 नं0 – 7669162344	प्रतिनियुक्त अनुमंडल अस्पताल, खड़गपुर	दिनांक 14.08.2022 से दिनांक अब तक अनाधिकृत।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित।
3	डा0 रूपेश कुमार, मो0 नं0 – 9006766979	सदर अस्पताल, मुंगेर	दिनांक 14.08.2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित।
4	डा0 शाहीद मुर्तजा, मो0 नं0 – 9958025464	सदर अस्पताल, मुंगेर।	दिनांक 03.08.2022 से 04.08.2022 एवं दिनांक 17.08.2022 से 20.08.2022 एवं 24.08.2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित
5	डा0 रजनीश रंजन मो0 नं0 – 7004179540	प्रतिनियुक्त अनुमंडल अस्पताल, खड़गपुर	दिनांक 17.08.2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित
6	डा0 पप्पु कुमार, मो0 नं0 – 9097015266	सदर अस्पताल, मुंगेर।	दिनांकः 14.07.2022 से अनाधिकृत अनुपस्थित।	त्यागपत्र कार्यालय को प्राप्त कराकर अनाधिकृत अनुपस्थित।
7	डा0 हर्षवर्धन, मो0 नं0 – 9939080663	सदर अस्पताल, मुंगेर।	दिनांक माह जनवरी से अनाधिकृत अनुपस्थित।	त्यागपत्र कार्यालय को प्राप्त कराकर अनाधिकृत अनुपस्थित।

इसके अतिरिक्त डा0 आशीष कुमार, चिकित्सीय सलाह हेतु अपने कार्यस्थल से दिनांकः 24.08.2022 से अब तक अनुपस्थित है।

उपरोक्त चिकित्सको के अनुपस्थिति के कारण सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था के सुचारू संचालन में समस्या आ रही है। चिकित्सको के कमी के कारण कई विभागों को एक साथ समाहित कर कार्यशील किया जा रहा है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार का संकल्प है कि अस्पताल में आये हुए सभी मरीजो को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण आई0पी0डी0 एवं ओ0पी0डी0 की सेवा दी जानी हैं। सदर अस्पताल में 24X7 घंटा निरंतर सेवा दिया जाना है परन्तु चिकित्सक के द्वारा बिना सहमति एवं स्वीकृति के आवेदन दे कर अनाधिकृत अनुपस्थित होना

कर्तव्यहीनता अनुशासन हीनता सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण को प्रतिकूल कार्यशै उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन आदि का परिचायक है। इससे जनमानस मे स्वास्थ्य विभाग छवि खराब होती है एव सरकार के द्वारा जनता को निःशुल्क चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के उद्दे पूर्ति करने मे बाधा उत्पन्न होती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे अनाधिकृत अनुपस्थि चिकित्सको पर विहित प्रकियानुसार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपीलीय) नियमावली 20 एवं महामारी नियत्रण अधिनियम के सुसंगत के प्रवधानो के तहत विधि सम्मत् कार्रवाई की जाय ता इस तरह के मनमानी पूर्ण एव उच्चश्रृखला रवैये पर नियत्रण प्राप्त किया जाय।

साथ ही परिस्थिति जन्यकारणो से सदर अस्प्ताल मुगेर के चिकित्सीय व्यवस्था के सुचा संचालन हेतु कम से कम चार 04 चिकित्सक सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे चिकित्सक है जो अध्ययन अवकाश पर गये है परन्तु कब त उनका अध्ययन अवकाश समाप्त हो रहा है इसकी जानकारी आवश्यक है ताकि उनकी सेवा सद अस्पताल को प्राप्त हो सके जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र सं0	चिकित्सक का नाम एवं मो0 नं0	स्थल	अध्ययन अवकाश विवरणी	अभियुक्ति
1	डा0 संगीता कुमारी, स्त्री रोगविशेषज्ञ, मो0 न0 7004113327	सदर अस्पताल, मुगेर।	NMCH, Patna	
2	डा0 आरती कुमारी, स्त्री रोगविशेषज्ञ, मो0 न0 7349928325	सदर अस्पताल, मुगेर।	JLMCH, Bhagalpur	
3	डा0 मनीष रंजन, ENT, मो0 न0 9430235079	सदर अस्पताल, मुगेर।	DMCH, Dharbhanga	
4	डा0 राम कुमार गुप्ता, Radiologist, मो0 न0 8960148869	सदर अस्पताल, मुगेर।	IGIMS; Patna	
4	डा0 एहतेशाम शमशाद, मो0 न0 9852391792	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	PMCH, Patna	
5	डा0 रौशन आनंद, मो0 न0	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	SKMCH, Muzaffarpur	
6	डा0 नितिन आनंद, मो0 न0 8541055149	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	DMCH, Dharbhanga	
7	डा0 सौरभ कुमार, मो0 न0 6202651730	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	JLMCH, Bhagalpur	

सादर सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

ज्ञापांक: ४८८ / दिनाक: ०४.९.२२

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक 2305 /

प्रेषक –

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा मे –

डा0 रजनीश रंजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुंगेर, दिनांक :– 03-09-2022

विषय – अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के सबध मे स्पष्टीकरण।

प्रसंग – उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्राक 982 दिनांक 2.9.2022 एव जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्राक 2600 दिनांक 02.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आप दिनाक 17.08.2022 से आज की तिथि तक बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये अनाधिकृत अनुपस्थित है। आपके इस मनमाना पूर्ण कार्य से सदर अस्पताल मे 24x7 चिकित्सीय व्यवस्था सचालन मे कठिनाई उत्पन्न हो रही है एव विधिव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। विदित हो कि सदर अस्पताल, मुंगेर में आये सभी मरीजों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवा दिया जाना सरकार की जनकल्याणकारी उद्देश्य है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, सरकारी सेवक के विहित आचरण के प्रतिकूल कार्यशैली तथा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन आदि का परिचायक हे। इससे जनमानस मे स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब हो रही है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे आपको निदेशित है कि कार्यस्थल पर पत्र प्राप्ति के 24 घटे के अन्दर योगदान देते हुए अनाधिकृति अनुपस्थिति के सबंध में इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करे कि क्यों नही आप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जाय।

ससमय योगदान नहीं करने एव स्पष्टीकरण की अनुपलब्धता की स्थिति में ये समझा जायेगा की आपको बचाव मे कुछ नही कहना है एवं तदनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन
3/9/22
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापाक 2305 / मुंगेर, दिनांक :– 03-09-2022

प्रतिलिपि – उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सरकार के सयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

3/9/22
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

दूरभाष स0 06344-222401, 221002(आ0)
06344-222402 221001(का0)
फैक्स स0 06344 222254
email- dm-munger-bih@nic.in

सत्यमेव जयते
समाहरणालय, मुंगेर
(गोपनीय शाखा)

बिहार सरकार

पत्रांक– 2601 /गो0, दिनांक– 02/09/2022

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा मे,

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

विषय सदर अस्पताल, मुंगेर मे पदस्थापित/प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों के अनाधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त स्पष्टीकरण पूछने के सबंध मे।

प्रसग उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का पत्रांक 982, दिनाक 02.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासगिक पत्र के सबंध में कहना है कि सदर अस्पताल, मुंगेर मे पदस्थापित एव प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सदर अस्पताल मे 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने मे हो रही समस्याओं के दृष्टिगत् सबधित चिकित्सको के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव प्रासगिक पत्र की छायाप्रति सलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित चिकित्सको से अनधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त अविलम्ब स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, कृत कार्रवाई सबधी प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

2/9/22

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

02/09/22

कार्यालय . असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक. 2475 /

प्रेषक –

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

सेवा मे –

डा0 रजनीश रंजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुगेर, दिनाक – 15-09-2022

विषय :– अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसग – इस कार्यालय का पत्रांक 2308 दिनाक 03.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के प्रासगिक पत्र के आलोक मे आपका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जो संतोषप्रद नहीं है। सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारू संचालन हेतु कार्यहित मे आपके अवकाश स्वीकृति संबधी अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए निर्देशित है कि कार्य स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उसके पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

अत: आपको अंतिम रूप से स्मारित किया जा रहा है कि योगदान नहीं करने पर इसे सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकुल कार्य शैली एवं उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जाएगी।

विश्वासभाजन

15/9/22

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापाक... 2475 ../मुंगेर, दिनांक :– 15-09-2022

प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/9/22

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)

Mobile No. 947003466

Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक 2626 /

प्रेषक,

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा मे,

डा0 रजनीश रंजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुगेर, दिनांक :– 28 09.2022

विषय – विहित आरोपो के क्रम मे स्पष्टीकरण

प्रसग :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुगेर के पत्रांक 982 दिनाक 2.9.2022, जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्राक 2600 दिनाक 02.09.2022, इस कार्यालय का पत्रांक 2308 दिनांक 03 09 2022 एवं पत्रांक 2475 दिनाक 15.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक मे आपको कार्य स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया, जिसका आपके द्वारा अनुपालन नही किया गया है।

उपरोक्त सदर्भ में आपके अनियमित कार्य शैली को दृष्टिगत कर समीक्षोपरांत निम्नलिखित आरोप की प्रकृति निर्धारित होती है जो प्रथम दृष्टया वृहत दण्डात्मक कार्रवाई के योग्य है:–

1 सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारू सचालन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति कर रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनांक 17 8 2022 को बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल से **अनाधिकृत अनुपस्थिती** का द्योतक है।

2 सदर अस्पताल, मुगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर डयूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमे प्रशसनिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी। एक सरकारी सेवक एवं चिकित्सक के रूप में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने सबंधी उदेश्य की प्राप्ति में सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के कारण जनहित कारी व्यवस्था मे कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशानुसार क्रियान्वयन में आपके **निष्ठा एवं समर्पण के अभाव को** दर्शाता है।

3. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बाबजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो **उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन** है।

4 चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण **सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है**। अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

कार्यालय · असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहा
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

5 आपकी प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, मुंगेर मे 24X7 अन्तर्गत चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारू सचालन के लिए किया गया था। जनहित कार्य व्यवस्था मे आपके द्वारा असहयोग किया जाना चिकित्सीय धर्म के प्रतिकूल है। इससे सरकारी व्यवस्था के प्रति मरीजों मे अविश्वास पैदा होता है। जो विहित कार्य संपादन में अनियमितता का द्योतक है।

6 कतिपय सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि आप मुख्यालय से बाहर Ojas Clinic ENT & GYN , MIG-225 hear new era Public school Malahi pakri Road housing Bord colony, east indira lager, clowk lila, kankarbagh patna bihar 800020 के पते पर अपना निजी क्लिनिक में मरीज को देखते है एव ऑर्थोपार्जन कर रहे हैं। एक सरकारी सेवक/चिकित्सक नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के घटे मे विहित कार्य के बदले में निजी तौर पर अर्थोपार्जन करते है तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य के साथ–साथ नियोजन नियोक्ता संबध की परिधि में प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य माना जा सकता है एव तद्नुसार विधि सम्मत कार्रवाई योग्य है।

7 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2475 दिनाक 15.9 2022 द्वारा आपके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर कार्य स्थल पर योगदान हेतु निर्देशित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि योगदान के पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जायगा परन्तु आज की तिथि तक आपके द्वारा न कोई सूचना दी गई है न ही कार्य स्थल पर योगदान दिया गया है। आपका उक्त आचरण सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली को प्रदर्शित करता है।

अतः पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर कार्य स्थल पर योगदान देते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति/उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लधन/सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्यशैली आदि आरोपों के संबध में अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा सरकारी कार्य में असहयोग एव आकस्मिक सेवा बाधित करने हेतु आपके विरूद्ध विधि सम्मत कारवाई करते हुए सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानो के अन्तर्गत प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठन कर विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग को ससुचित कर दिया जायगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन

27/9/22

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 2626 /मुंगेर, दिनाक :– 29.09.2022

प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक. .... /

प्रेषक,
डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

सेवा मे,
सरकार के संयुक्त सचिव,
प्रशाखा-9, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

मुगेर, दिनाक :–

विषय – डा0 रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0अस्पताल, ह0 खडगपुर वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुगेर के विरूद्ध विहित आरोपों के क्रम मे प्रपत्र 'क' का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सादर कहना है कि डा0 रजनीश रजन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0अस्पताल, ह0 खडगपुर वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुगेर का अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति, स्वेच्छाचारी आचरण, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन आदि आरोपो को संदर्भित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही का सचालन हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठन कर भेजा जा रहा है।

सादर सूचनार्थ एव अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

ज्ञापाक 2860 / मुंगेर, दिनांक :– 08.10.2022 /

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

(11)

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

प्रपत्र "क"

(1) नामः— डा0 रजनीश रंजन
(2) पदनाम— चिकित्सा पदाधिकारी
(3) वर्त्तमान पदस्थापित स्थान— चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर, वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
(4) जन्म तिथि — 23.06.1976
(5) नियुक्ति की तिथिः— स्वा0 विभागीय अधिसूचना सं0 1544(2) स्वा0 पटना दिनांक 16.11.21
(6) योगदान की तिथि— 23.11.2021
(7) सेवानिवृत्ति की तिथि :— 30.06.2043
(8) वेतनमान :— 9300—34800 ग्रेड पे— 5400
(9) पत्राचार का पता :—

पिता —स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड नं0 05, रामायण नगर, बाढ़
जिला — पटना।
पिन कोड — 803213
मो0 — 7004179540, 9431402595

क्रम	संदर्भ	साक्ष्य	आरोप की प्रकृति
1	सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारू सचालन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति कर रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनांक 17.6.2022 को बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल से **अनाधिकृत अनुपस्थिती** का द्योतक है।	उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर का पत्रांक 982 दिनांक 02.09.22	अनाधिकृत अनुपस्थिती
2	सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर ड्यूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पडी। एक सरकारी सेवक एव चिकित्सक के रूप में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजो को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी उदेश्य की प्राप्ति मे सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के **कारण जनहित कारी व्यवस्था में कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के दिशा—निर्देशानुसार क्रियान्वंयन में आपके निष्ठा एवं समर्पण के अभाव** को दर्शाता है।		निष्ठा एवं समर्पण के अभाव
3	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बाबजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो **उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन** है।	पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022, पत्रांक 982 दिनांक 02.09.2022 पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022	उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन
4	चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण **सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।** अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।		सरकारी कार्य में बाधा

5	ापकी प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, मुगेर मे 24X7 अन्तर्गत चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। जनहित कार्य व्यवस्था मे आपके द्वारा असहयोग किया जाना चिकित्सीय धर्म के प्रतिकूल है। इससे सरकारी व्यवस्था के प्रति मरीजो मे अविश्वास पैदा होता है। जो **विहित कार्य सपादन में अनियमितता** का द्योतक है।		विहित कार्य सपादन मे अनियमितता
6	कतिपय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप मुख्यालय से बाहर Ojas Clinic ENT & GYN , MIG-225 hear new era Public school Malahi pakri Road housing Bord colony, east indira lager, clowk lila, kankarbagh patna bihar 800020 के पते पर अपना निजी क्लिनिक मे मरीज को देखते है एव ऑर्थोपार्जन कर रहे है। एक सरकारी सेवक/चिकित्सक नियत्री पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के घंटे मे विहित कार्य के बदले में निजी तौर पर अर्थोपार्जन करते है तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य के साथ–साथ नियोजन नियोक्ता संबंध की परिधि में प्रथम दृष्टया **आपराधिक कृत्य माना** जा सकता है एवं तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई योग्य है।		आपराधिक कृत्य
7	अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2475 दिनांक 15.9.2022 द्वारा आपके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर कार्य स्थल पर योगदान हेतु निर्देशित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि योगदान के पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। पुनः कार्यालय पत्रांक 2626 दिनाक 28.09.2022 द्वारा अन्तिम रूप से स्मार दिये जाने के बाबजूद भी आज की तिथि तक आपके द्वारा न कोई सूचना दी गई है न ही कार्य स्थल पर योगदान दिया गया है। आपका उक्त आचरण **सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली** को प्रदर्शित करता है।	पत्रांक 2475 दिनांक 15 9 2022 पत्राक 2626 दिनाक 28.09 2022	सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली

31/10/22

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

कार्यालय अधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर।

पत्रांक . .

प्रेषक

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

सेवा मे

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

दिनाक . . . . .

विषय: चिकित्सा पदाधिकारी के अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबध में।

प्रसंग: अधोहस्ताक्षरी के पत्रांकः 968, दिनाकः 30 08 2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि सदर अस्पताल मुंगेर में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है –

क्र स0	चिकित्सक का नाम एवं मो0 न0	स्थल	अनुपस्थित की विवरणी	अभियुक्ति
1	डा0 पकज कुमार, मो0 -- 7741036002	प्रतिनियुक्त अनुमडल अस्पताल, खड़गपुर	दिनाक 14 08 2022 से 19 08 2022 एव दिनाक 22.08 2022 से 24 08 2022 एव दिनाक 236.08 2022 से अब तक अनाधिकृत अनुपस्थित।	बिना अवकाश आवेदन प्राप्त कराये मुख्यालय से बाहर
2	डा0 अजीत कुमार सिह, मो0 न0 – 7869162344	प्रतिनियुक्त अनुमडल अस्पताल खडगपुर	दिनाक 14 08 2022 से दिनाक अब तक अनाधिकृत।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित।
3	डा0 रूपेष कुमार, मो0 न0 – 9006766679	सदर अस्पताल, मुगेर	दिनाक 14 08 2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित।
4	डा0 शहीद मुर्तजा, मो0 न0 – 9958025464	सदर अस्पताल, मुगेर।	दिनाक 03 08 2022 से 04 08 2022 एव दिनाक 17 08 2022 से 20 08 2022 एव 24 08 2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित
5	डा0 रजनीश रजन, मो0 न0 – 7004179540	प्रतिनियुक्त अनुमडल अस्पताल, खडगपुर	दिनाक 17 08 2022 से अब तक।	अवकाश आवेदन बिना स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित
6	डा0 पप्पु कुमार, मो0 न0 – 9097015266	सदर अस्पताल, मुगेर।	दिनांक 14 07 2022 से अनाधिकृत अनुपस्थित।	त्यागपत्र कार्यालय को प्राप्त कराकर अनाधिकृत अनुपस्थित।
7	डा0 हर्षवर्धन, मो0 न0 – 9939080663	सदर अस्पताल, मुगेर।	दिनाक माह जनवरी से अनाधिकृत अनुपस्थित।	त्यागपत्र कार्यालय को प्राप्त कराकर अनाधिकृत अनुपस्थित।

इसके अतिरिक्त डा0 आशीष कुमार, चिकित्सीय सलाह हेतु अपने कार्यस्थल से दिनांकः 24.08 2022 से अब तक अनुपस्थित है।

उपरोक्त चिकित्सको के अनुपस्थिति के कारण सदर अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था के सुचारू सचालन मे समस्या आ रही है। चिकित्सको के कमी के कारण कई विभागो को एक साथ समाहित कर कार्यशील किया जा रहा है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार का संकल्प है कि अस्पताल मे आये हुए सभी मरीजो को निःशुल्क गुणवत्ता पूर्ण आई0पी0डी0 एवं ओ0पी0डी0 की सेवा दी जानी हैं। सदर अस्पताल में 24X7 घंटा निरंतर सेवा दिया जाना है परन्तु चिकित्सक के द्वारा बिना सहमति एवं स्वीकृति के आवेदन दे कर अनाधिकृत अनुपस्थित होना

कर्तव्यहीनता अनुशासन हीनता सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण को प्रतिकूल कार्यशै उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन आदि का परिचायक है। इससे जनमानस में स्वास्थ्य विभाग छवि खराब होती है एवं सरकार के द्वारा जनता को निःशुल्क चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के उद्दे पूर्ति करने मे बाधा उत्पन्न होती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे अनाधिकृत अनुपस्थि चिकित्सको पर विहित प्रकियानुसार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियत्रण एव अपीलीय) नियमावली 20 एव महामारी नियत्रण अधिनियम के सुसगत के प्रवधानो के तहत विधि सम्मत् कार्रवाई की जाय ता इस तरह के मनमानी पूर्ण एव उच्चश्रृखला रवैये पर नियत्रण प्राप्त किया जाय।

साथ ही परिस्थिति जन्यकारणो से सदर अस्पताल मुगेर के चिकित्सीय व्यवस्था के सुचा सचालन हेतु कम से कम चार 04 चिकित्सक सदर अस्पताल मे प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे चिकित्सक है जो अध्ययन अवकाश पर गये है परन्तु कब त उनका अध्ययन अवकाश समाप्त हो रहा है इसकी जानकारी आवश्यक है ताकि उनकी सेवा सद अस्पताल को प्राप्त हो सके जिसकी विवरणी निम्नवत् है :—

क्र स0	चिकित्सक का नाम एव मो0 न0	स्थल	अध्ययन अवकाश विवरणी	अभियुक्ति
1	डा0 संगीता कुमारी स्त्री रोगविशेषज्ञ, मो0 न0 7004113327	सदर अस्पताल मुगेर।	NMCH, Patna	
2	डा0 आरती कुमारी, स्त्री रोगविशेषज्ञ, मो0 न0 7349928325	सदर अस्पताल, मुगेर।	JLMCH, Bhagalpur	
3	डा0 मनोज रंजन, ENT, मो0 न0 9430235079	सदर अस्पताल मुगेर।	DMCH, Dharbhanga	
[illegible]	डा0 राम कुमार गुप्ता, Radiologist, मो0 न0 8960148869	सदर अस्पताल, मुगेर।	IGIMS, Patna	
4	डा0 [illegible], मो0 न0 9852391792	सिविल सर्जन कार्यलिय मुगेर।	PMCH, Patna	
5	डा0 रौशन आनद मो0 न0	सिविल सर्जन कार्यलिय मुगेर।	SKMCH Muzaffarpur	
6	डा0 नितिन आनद मो0 न0 8541055149	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	DMCH, Dharbhanga	
7	डा0 सौरभ कुमार मो0 न0 6202651730	सिविल सर्जन कार्यालय मुगेर।	JLMCH, Bhagalpur	

सादर सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

ज्ञापांक: ...984.../ दिनांक 04.9.22

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, मुगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

उपाधीक्षक
सदर अस्पताल, मुंगेर।

कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक 2305 /

प्रेषक –

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

सेवा में –

डा0 रजनीश रंजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान में प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुंगेर, दिनांक :– 03-09-2022.

विषय – अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रसंग :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्रांक 982 दिनांक 2.9.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि आप दिनांक 17.08.2022 से आज की तिथि तक बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये अनाधिकृत अनुपस्थित है। आपके इस मनमाना पूर्ण कार्य से सदर अस्पताल मे 24x7 चिकित्सीय व्यवस्था संचालन मे कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं विधिव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। विदित हो कि सदर अस्पताल, मुंगेर मे आये सभी मरीजों को नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण सेवा दिया जाना सरकार की जनकल्याणकारी उद्देश्य है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति, कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, सरकारी सेवक के विहित आचरण के प्रतिकूल कार्यशैली तथा उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन आदि का परिचायक है। इससे जनमानस मे स्वास्थ्य विभाग की छवि खराब हो रही है।

अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक मे आपको निदेशित है कि कार्यस्थल पर पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर योगदान देते हुए अनाधिकृति अनुपस्थिति के संबंध में इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करे कि क्यो नहीं आप पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा की जाय।

ससमय योगदान नहीं करने एवं स्पष्टीकरण की अनुपलब्धता की स्थिति मे ये समझा जायेगा की आपको बचाव मे कुछ नही कहना है एवं तदनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

विश्वासभाजन
3/9/22
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 2305 / मुंगेर, दिनांक :– 03-09-2022

प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

3/9/22
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

(69)

दूरभाष सं0 06344-222401, 221002(आ0)
06344-222402 221001(का0)
फैक्स सं0 06344 222254
email- dm-munger bih@nic in

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

समाहरणालय, मुंगेर
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक- 2601 /गो0, दिनांक- 02/09/2022

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

विषय सदर अस्पताल, मुंगेर में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियो के अनाधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त स्पष्टीकरण पूछने के संबध मे।

प्रसग उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुगेर का पत्रांक 982, दिनाक 02 09 2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सबध में कहना है कि सदर अस्पताल, मुंगेर मे पदस्थापित एव प्रतिनियुक्त चिकित्सकों के अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सदर अस्पताल मे 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने मे हो रही समस्याओ के दृष्टिगत् सबधित चिकित्सको के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित चिकित्सको से अनधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त अविलम्ब स्पष्टीकरण पूछते हुए नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही, कृत कार्रवाई सबंधी प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

2/9/22

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

02/09/22

(120) (16)

कार्यालय . असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo com,

पत्राक 2475 /

प्रेषक –

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

सेवा मे –

डा0 रजनीश रजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुंगेर, दिनाक – 15-09-2022

विषय – अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के सबध में स्पष्टीकरण।

प्रसग :– इस कार्यालय का पत्रांक 2308 दिनाक 03.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के प्रासंगिक पत्र के आलोक मे आपका स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ जो संतोषप्रद नही है। सदर अस्पताल, मुगेर के सुचारू संचालन हेतु कार्यहित मे आपके अवकाश स्वीकृति संबधी अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए निर्देशित है कि कार्य स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उसके पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

अत आपको अतिम रूप से स्मारित किया जा रहा है कि योगदान नही करने पर इसे सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकुल कार्य शैली एव उच्चाधिकारी क आदेश का उल्लंघन मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशसा की जाएगी।

विश्वासभाजन

15/9/22

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 2475 /मुंगेर, दिनांक :– 15-09-2022

प्रतिलिपि :– उपाधीक्षक सदर अस्पताल, मुगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा–02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/9/22

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

(67) (19)

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर (बिहार)
Mobile No. 947003466
Email-civilsurgeonmunger1@yahoo.com,

पत्रांक 2626 /

प्रेषक,

डा0 प्राण मोहन सहाय,
असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुगेर।

सेवा मे,

डा0 रजनीश रंजन,
चिकित्सा पदाधिकारी, अनु0 अस्पताल, ह0 खडगपुर,
वर्त्तमान मे प्रतिनियुक्त, सदर अस्पताल, मुंगेर।
स्थायी पता :–
पिता –स्व0 उमेश प्रसाद,
वार्ड न0 05, रामायण नगर, बाढ
जिला – पटना।
पिन कोड – 803213
मो0 – 7004179540, 9431402595

मुंगेर, दिनांक :– 28 09.2022

विषय – विहित आरोपों के क्रम में स्पष्टीकरण

प्रसग – उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्राक 982 दिनाक 2.9.2022, जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्राक 2600 दिनांक 02.09.2022, इस कार्यालय का पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022 एवं पत्रांक 2475 दिनांक 15.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में आपको कार्य स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया, जिसका आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त सदर्भ में आपके अनियमित कार्य शैली को दृष्टिगत कर समीक्षोपरात निम्नलिखित आरोप की प्रकृति निर्धारित होती है जो प्रथम दृष्टया वृहत दण्डात्मक कार्रवाई के योग्य है:–

1. सदर अस्पताल, मुंगेर के सुचारू संचालन हेतु आपकी प्रतिनियुक्ति कर रोस्टर ड्यूटी निर्धारित की गई थी परन्तु आप दिनाक 17.8.2022 को बिना अवकाश आवेदन स्वीकृत कराये मुख्यालय से बाहर चले गये। जो कार्य स्थल स अनाधिकृत अनुपस्थिती का द्योतक है।
2. सदर अस्पताल, मुंगेर द्वारा निर्धारित रोस्टर डयूटी से आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई हुई। इससे सदर अस्पताल में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता पडी। एक सरकारी सेवक एवं चिकित्सक के रूप में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सरकार के द्वारा सभी मरीजों को निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने संबधी उदेश्य की प्राप्ति में सहयोग करें परन्तु आपके असहयोग के कारण जनहित कारी व्यवस्था में कठिनाई हुई जो सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशानुसार क्रियान्वयन में आपके निष्ठा एवं समर्पण के अभाव को दर्शाता है।
3. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2308 दिनांक 03.09.2022, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर के पत्राक 982 दिनांक 02.09.2022 एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक 2600 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने के बाबजूद आज की तिथि तक अनुपालन नहीं किया गया है, जो उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है।
4. चिकित्सा सेवा अतिआवश्यक /आकस्मिक सेवा है। आपके अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः सरकारी कार्य बाधित करने हेतु आप पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

कार्यालय : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर

Mobile No. 947003466

Email-civil urgeonmunger1@yahoo com,

5 आपको प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, मुंगेर में 24X7 अन्तर्गत चिकित्सकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। जनहित कार्य व्यवस्था में आपके द्वारा असहयोग किया जाना चिकित्सीय धर्म के प्रतिकूल है। इससे सरकारी व्यवस्था के प्रति मरीजों मे अविश्वास पैदा होता है। जो विहित कार्य सपादन में अनियमितता का द्योतक है।

6 कतिपय सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि आप मुख्यालय से बाहर Ojas Clinic ENT & GYN , MIG-225 hear new era Public school Malahi pakri Road housing Bord colony, east indira lager, clowk lila, kankarbagh patna bihar 800020 के पते पर अपना निजी क्लिनिक में मरीज को देखते है एवं ऑर्थोपार्जन कर रहे है। एक सरकारी सेवक/चिकित्सक नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्य के घटे मे विहित कार्य के बदले में निजी तौर पर अर्थोपार्जन करते है तो यह एक गैर जिम्मेदाराना कृत्य के साथ-साथ नियोजन नियोक्ता संबंध की परिधि में प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य माना जा सकता है एव तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई योग्य है।

7 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 2475 दिनाक 15.9 2022 द्वारा आपके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत कर कार्य स्थल पर योगदान हेतु निर्देशित करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि योगदान के पश्चात ही आपके आवेदन पर विचार किया जायगा परन्तु आज की तिथि तक आपके द्वारा न कोई सूचना दी गई है न ही कार्य स्थल पर योगदान दिया गया है। आपका उक्त आचरण सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य शैली को प्रदर्शित करता है।

अत पत्र प्राप्ति के 48 घटे के अन्दर कार्य स्थल पर योगदान देते हुए अनाधिकृत अनुपस्थिति/उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लघन/सरकारी सेवक के लिए विहित आचरण के प्रतिकूल कार्यशैली आदि आरोपों के सबध में अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा सरकारी कार्य में असहयोग एव आकस्मिक सेवा बाधित करने हेतु आपके विरूद्ध विधि सम्मत कारवाई करते हुए सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानो के अन्तर्गत प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठन कर विभागीय कार्यवाही हेतु विभाग को संसुचित कर दिया जायगा।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

विश्वासभाजन

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक 2626 /मुंगेर, दिनांक :- 28-09-2022

प्रतिलिपि :- उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उपाधीक्षक, अनु0 अस्पताल, ह0 खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रशाखा-02, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।

दूरभाष सं0 06344 222401 221002(आ0)
06344-222402 221001(का0)
फैक्स सं0 - 06344-222254
email- dm-munger-bih@nic.in

समाहरणालय, मुंगेर
(गोपनीय शाखा)

पत्रांक- 2962 / गो0, दिनांक- 10/10/2022

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : सदर अस्पताल, मुंगेर में पदस्थापित/कार्यरत् चिकित्सकों के अनधिकृत अनुपस्थिति के निमित्त कार्रवाई की अनुशंसा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि सरकार की संकल्पना के दृष्टिगत् सदर अस्पताल, मुंगेर में 24x7 निःशुल्क स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पालीवार चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गयी तथा दैनिक अनुश्रवण करते हुए इस कार्य को लगातार सम्पन्न कराया जा रहा है। इसी दरम्यान् यह ज्ञात हुआ कि कई चिकित्सक बिना किसी सूचना एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किये अपने कर्तव्य अवधि से लगातार अनुपस्थित हैं। भवदीय को अवगत कराना है कि कई चिकित्सक अपने कर्तव्य अवधि में निजी क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं जिसकी जॉच कराते हुए स्पष्ट किया गया। तदालोक अधोहस्ताक्षरी द्वारा बारम्बार बैठकों में भी इसपर विशेष निर्देश दिये गये हैं। इसके बावजूद कुछ चिकित्सकों के कार्यप्रणाली में सुधार नहीं पाया गया। तत्पश्चात् सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा ऐसे चिकित्सको को चिन्हित कर प्रपत्र-'क' गठित कर भवदीय कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न अंकित कर भवदीय अवलोकनार्थ भेजा जाता है :-

क0	चिकित्सक का नाम एवं मोबाईल नं0	आवासीय पता	पदस्थापन/ प्रतिनियुक्ति	निजी क्लिनिक का पता	भेजे गये प्रपत्र-'क' का पत्रांक/दिनांक
1	डॉ0 अजीत कुमार सिंह (मो0-7869162344)	पिता-त्रिवेणी राम, वृन्दावन, किउल धर्मशाला, वार्ड नं0-9, पो0-किउल एस, जिला- लखीसराय पिन-811310	पदस्थापन अनुमंडल अस्पताल, ह0 खड़गपुर, वर्तमान में सदर अस्पताल, मुंगेर मे प्रतिनियुक्त	–	2867 / 10.10.2022
2	डॉ0 शाहिद मुर्तजा (मो0-9958025464)	पिता-मो0 मुस्तफा अली, ग्राम-हाकीम अमीर हसन लेन, पो0-ततारपुर, भागलपुर, पिन-812002	सदर अस्पताल, मुंगेर	ततारपुर (भागलपुर) मुस्लिम माईनॉरिटी स्कूल के पास एक मॉल के बगल के रास्ते/गली में	2862 / 08.10.2022

3	डॉ0 पंकज कुमार (मो0–7741036002)	पिता–श्री दामोदर प्रसाद गुप्ता, कवैया रोड के नजदीक, बिहार प्रेस, नया बाजार, जिला–लखीसराय, पिन–811311	पदस्थापन अनुमंडल अस्पताल, ह0 खड़गपुर, प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुंगेर	–	286. / 08 10 2022
4	डॉ0 रजनीश रजन, (मो0–7004179540 / 9431402595)	पिता– स्व0 उमेश प्रसाद, वार्ड न0–5, रामायण नगर, बाढ़, जिला–पटना, पिन–803213	चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडल अस्पताल, ह0 खड़गपुर, वर्तमान प्रतिनियुक्त सदर अस्पताल, मुंगेर	Ojas Clinic, ENT & GYN, MIG-225 near New Era Public School, Malahi Pakri Road, Housing Board Colony, East Indira Nagar, Kankarbhagh Patna-800020	2860 / 08 10.2022
5	डॉ0 रूपेश कुमार, (मो0–9006766679)	पिता–नित्यानन्द यादव, ग्राम–पथड्डा, प्रखंड–फुल्लीडुमर, पो0–फुल्लीडुमर जिला–बांका, पिन–813101	सदर अस्पताल, मुंगेर	–	2866 / 10 10 2022
6	डॉ0 पप्पु कुमार, विशषज्ञ चिकित्सक (ऑर्थोपेडिक) (मो0–9097015266)	पिता– श्री राजवल्लभ पंडित, ग्राम+पो0–पैजुना, थाना–घोसवरी, जिला–पटना–803302	सदर अस्पताल, मुंगेर	–	2861 / 08 10 2022
7	डॉ0 हर्षवर्द्धन कुमार गोविन्दा	पिता– भगवान दास गोविन्दा, ग्राम+पो0–कठौन, थाना–रजौन, जिला–बांका–813107	सदर अस्पताल, मुंगेर	Emergency Hospital, Safiyabad, Munger	2792 / 29 09 2022 एवं 134 / 17 01.20222

उक्त परिप्रेक्ष्य में उपरांकित चिकित्सकों के कार्यप्रणाली को देखते हुए सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा भेजे गये प्रपत्र–'क' के प्रस्ताव पर अनुशंसा करते हुए भवदीय से अनुरोध है कि उक्त आलोक में कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2962 / गो0, मुंगेर, दिनांक 10/10/2022

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

10/10/2022